



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 222-2017/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017
(27 अग्रहायण, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 74/के०अ० 67/1957/धा० 9ख, 15 तथा 15क/2017, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 – हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	685-699
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग -III**हरियाणा सरकार**

खान तथा भूविज्ञान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

संख्या का०आ० 74/के०अ० 67/1957/घा० 9ख, 15 तथा 15क/2017 - खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67), की धारा 9 ख, धारा 15 की उपधारा (4) तथा धारा 15 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं।
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67);
 - (ख) "प्रभावित क्षेत्र" से अभिप्राय है, खनन से सम्बन्धित संक्रियाओं के कारण प्रभावित क्षेत्र;
 - (ग) "प्रभावित जनता" से अभिप्राय है, खनन से सम्बन्धित संक्रियाओं के कारण प्रभावित व्यक्ति;
 - (घ) "लेखापरीक्षक" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा इसमें प्रधान महालेखाकार भी शामिल है;
 - (ङ) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान का अध्यक्ष;
 - (च) "समिति" से अभिप्राय है, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा विभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग से प्रत्येक एक अधिकारी, जो जिला स्तर अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, से मिलकर बनने वाली सरकार द्वारा गठित कोई समिति;
 - (छ) "अंशदान" से अभिप्राय है, केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संविदा धन/अनिवार्य भाटक/राजशुल्क की ऐसी प्रतिशतता पर जिले में बड़े या लघु खनिज रियायत धारकों से संगृहीत या संगृहीत किए जाने वाला कोई अंशदान;
 - (ज) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, सम्बद्ध जिले का उपायुक्त;
 - (झ) "प्रतिष्ठान" से अभिप्राय है, नियम 4 के अधीन गठित जिला खनिज प्रतिष्ठान;
 - (ञ) "निधि" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान की निधि;
 - (ट) "शासकीय परिषद्" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाली परिषद्;
 - (ठ) "प्रबन्ध समिति" से अभिप्राय है, नामांकित सदस्यों के सिवाय प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति;
 - (ड) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (ढ) "खनिज रियायत धारक" से अभिप्राय है, किसी खनिज के खनन पट्टे या खनन संविदा का धारक;
 - (ण) "वर्ष" से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ तथा आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्त वर्ष।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में उन्हें दिये गए हैं।
3. जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा, अर्थात्:- प्रतिष्ठान की संरचना।

पदेन सदस्य		
1	2	3
1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	अपर उपायुक्त	उपाध्यक्ष
3	सम्बद्ध जिले का संसदीय सदस्य	सदस्य
4	जिले के सभी विधान सभा सदस्य	सदस्य
5	सहायक खनन अभियन्ता/खनन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो	सदस्य सचिव
6	मण्डल वन अधिकारी	सदस्य
7	कार्यकारी अभियन्ता (भवन तथा सड़के)	सदस्य
8	कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज	सदस्य
9	जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
10	क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	सदस्य
11	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
12	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
	नामांकित सदस्य	
13	एक बड़े खनिज तथा दूसरा लघु खनिज रियायत धारकों में से दो प्रतिनिधि	सदस्य
14	खनिज प्रसंस्करण उद्योग से एक प्रतिनिधि	सदस्य
15	प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावित व्यक्तियों के समुदाय से दो प्रतिनिधि	सदस्य
16	खान कर्मकारों का एक प्रतिनिधि	सदस्य
17	जिले में खनन कार्य में दस वर्ष का अनुभव रखने वाला तकनीकी खनन व्यक्ति	सदस्य
18	सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा नामांकित कोई अन्य अधिकारी/विशिष्ट व्यक्ति	सदस्य

प्रतिष्ठान का प्रबन्धन।

4. प्रतिष्ठान का प्रबन्धन शासकीय परिषद में निहित होगा जिसमें प्रतिष्ठान के नामांकित सदस्यों सहित सभी सदस्य शामिल होंगे। प्रतिष्ठान, सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी निर्देशों तथा मार्गदर्शनों के अनुसार कार्य करेगा।

शासकीय परिषद की बैठक।

5. (1) शासकीय परिषद की बैठक, अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी।

(2) बैठक की गणपूर्ती कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

(3) प्रतिष्ठान के सभी निर्णय शासकीय परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और यदि अपेक्षित हो, तो मतदान से लिए जाएंगे। बराबरी के मामलों में, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। शासकीय परिषद की प्रत्येक बैठक प्रतिष्ठान की बैठक के रूप में समझी जाएगी।

नामांकित सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा के निबन्धन तथा शर्तें।

6. (1) नामांकित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और अध्यक्ष एक अवधि के लिए नामांकित सदस्य की नियुक्ति का नवीकरण कर सकता है।

(2) कोई भी नामांकित सदस्य सरकार को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में अपना त्यागपत्र दे सकता है किन्तु जब तक उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है पद धारण करेगा।

(3) नामांकित सदस्य राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को लागू हरियाणा सिविल सेवा नियमों के अनुसार बैठक में उपस्थित होने के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए भत्ते प्राप्त करेंगे।

(4) नामांकित सदस्य किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।

कोई रिक्ति प्रतिष्ठान के कृत्यों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

7. अवधि की समाप्ति, त्याग पत्र, हटाए जाने, अयोग्यता, मृत्यु या किसी कारण, जो भी हो, के कारण प्रतिष्ठान में होने वाली कोई रिक्ति प्रतिष्ठान के कृत्यों को प्रभावित नहीं करेगी।

सदस्य की अयोग्यता।

8. नामांकित सदस्य अयोग्य हो जाएगा यदि वह,—

(क) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है तथा कारावास से दण्डित किया गया है जो सरकार की राय में नैतिक अधमता वाला है;

(ख) विकृतचित्त हो गया है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है;

- (घ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रित किसी निकाय या निगम की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है;
- (ङ) स्वयं या भागीदार के रूप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रतिष्ठान के आदेश से किए गए किसी कार्य में या प्रतिष्ठान में या के अधीन या द्वारा या की ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई निजी शेर या निजी हित रखता है; या
- (च) प्रतिष्ठान की ओर से कोई वेतन पाने वाले विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित है या प्रतिष्ठान के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता है।
- 9.** सरकार किसी नामांकित सदस्य को हटा सकती है यदि वह,—
- (क) नियम 8 में विहित किन्हीं अयोग्यताओं में से किसी एक के अधधीन आता है;
- (ख) प्रतिष्ठान से अवकाश लिए बिना अनुपस्थित रहता है, प्रतिष्ठान की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है;
- (ग) सरकार की राय में, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोक हित के लिए हानिकर है:
परन्तु किसी भी सदस्य को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे प्रस्ताव के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन देने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।
- 10.** शासकीय परिषद् निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगी,—
- (i) सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी ऐसे निर्देशों तथा मार्गदर्शनों के अधधीन विस्तृत पॉलिसी ढांचा अधिकथित करना तथा इसका पुनर्विलोकन करना;
- (ii) स्कीमों तथा परियोजनाओं की सूची तथा प्रायोगिक उपबन्धों को दर्शाते हुए वार्षिक कार्य योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसका अनुमोदन करवाना;
- (iii) वार्षिक बजट प्लान का अनुमोदन करना और आगामी वित्त वर्ष के लिए उसे तैयार करना और पूर्व वचनबद्धता तथा दायित्वों की कुल धन राशि का मूल्यांकन करना;
- (iv) परियोजनाओं के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना और समय पर उन्हें पूरा करना;
- (v) इन नियमों के अनुसार उपलब्ध निधि से प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए ऐसे अन्य खर्च का अनुमोदन करना;
- (vi) प्रबन्धन समिति की सिफारिशों का अनुमोदन करना ;
- (vii) प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरिक्षित लेखों का अधिमानतः नब्बे दिन के भीतर अनुमोदन करना किन्तु पूर्व वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं;
- (viii) प्रभावित व्यक्तियों की अद्यतन सूची तैयार करना तथा बनाए रखना।
- 11.** (1) प्रतिष्ठान का दिन प्रतिदिन का प्रबन्धन, प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित किया जाएगा जो प्रतिष्ठान के नामांकित सदस्यों के सिवाय प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- (2) प्रबन्ध समिति, —
- (i) प्रतिष्ठान के हित तथा अंशदान को संरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्यों को करने में सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगी;
- (ii) धारकों से अंशदान का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करेगी;
- (iii) समिति द्वारा तैयार किए गए प्रतिष्ठान के कार्यकलापों के लिए मास्टर योजना या विजन दस्तावेज प्राप्त करेगी
- (iv) प्रस्तावित स्कीमों तथा परियोजनाओं के साथ-साथ प्रतिष्ठान की वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करने में सहायता करेगी;
- (v) प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना, स्कीमों तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण तथा निष्पादन सुनिश्चित करेगी;
- (vi) परियोजनाओं की स्वीकृति देगी;
- (vii) सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रतिष्ठान के नाम से लेखों के माध्यम से निधि का संचालन करेगी;
- (viii) निधि के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी;
- (ix) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर प्रतिष्ठान के अनुमोदन के लिए उसके सम्मुख वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षित लेखे रखेगी;
- (x) सभी अन्य कार्य करेगी जो प्रतिष्ठान के निर्बाध कार्य करने तथा प्रबन्धन के लिए आवश्यक हों।
- (3) प्रबन्ध समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

नामांकित सदस्य का हटाया जाना।

शासकीय परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य।

प्रबन्ध समिति की शक्तियां तथा कृत्य।

निधि।

- 12.** (1) निधि में निम्नलिखित जमा होंगे,—
- केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए सभी अनुदान, परिदान, चन्दा तथा उपहार;
 - सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रतिष्ठान द्वारा उधार ली गई राशि;
 - किसी भी प्रकार के किसी स्रोत से प्रतिष्ठान द्वारा या की ओर से प्राप्त सभी अन्य राशियां;
 - बड़े खनिज के सम्बन्ध में प्राप्त अंशदान;
 - लघु खनिजों के सम्बन्ध में, हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिजों के संग्रहण, परिवहन तथा अवैध खनन निवारण नियम, 2012 के अनुसार स्थापित खान तथा खनिज विकास तथा विनियमन निधि में प्राप्त कुल राशि का एक तिहाई;
 - निवेश तथा अन्य निक्षेप तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज तथा उससे उत्पन्न कोई अन्य आय; तथा

(vii) प्रतिष्ठान की सभी अन्य सम्पत्तियां तथा उससे प्राप्त या उसके मूल्यांकन से आय।

(2) प्रतिष्ठान के लिए भुगतान जिले में संविदाकारों/पट्टाधारियों से मासिक किश्तों सहित अग्रिम में संगृहीत किया जाएगा तथा सीधा प्रतिष्ठान के खाते में निक्षेप किया जाएगा। यदि कोई भिन्न राशि राजशुल्क के निर्धारण के समय पर प्रोद्भूत होती है, तो वह तुरन्त प्रतिष्ठान के खाते में निक्षेप की जाएगी।

निधि का संचालन।

13. निधि केवल प्रतिष्ठान के नाम से प्रत्येक जिले में सरकारी अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज वाले खाते में रखी जाएगी तथा लेखे दो पदाभिहित हस्ताक्षरियों, एक अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाएगा और दूसरा सदस्य सचिव होगा, के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन संचालित किये जाएंगे। प्रतिष्ठान निधि की लेखा पुस्तक बनाए रखेगा।

निधि का उपयोग।

14. निधि निम्नलिखित रीति में उपयोग की जाएगी, अर्थात्:—

- सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी मार्गदर्शनों के अनुसार निधि का बीस प्रतिशत क्षेत्र में पूरे होने वाले खनन कार्यकलापों के बाद भविष्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए स्थायी निधि के रूप में अलग रखा जाएगा।
- निधि का साठ प्रतिशत निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा:—
 - पेय जल आपूर्ति— केन्द्रीयकृत शुद्धिकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क जिसमें पेय जल, जल आपूर्ति प्रणाली के लिए पाईप डालने के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं;
 - केन्द्रीयकृत परिरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय क्षेत्र में बहिः स्राव उपचार संयंत्र, नदियों, झीलों, तालाबों, भू-जल, अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओं तथा ढेर से होने वाले शोर, वायु तथा धूल प्रदूषण निवारण, खान जल निकास प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण टेक्नोलोजी के लिए उपाय तथा खान कार्यों या परिव्यक्त, खनिज क्षेत्रों की मरम्मत (पुनरुद्धार), सुधार तथा पुनर्वास तथा अन्य वायु, जल तथा पर्यावरण स्नेही तथा जारी रखने योग्य खान विकास के लिए अपेक्षित सतह प्रदूषण नियन्त्रण प्रक्रिया के लिए उपाय ;
 - स्वास्थ्य खतरों से सम्बन्धित खनन संक्रियाओं से प्रभावित स्थानीय खान कर्मकारों के कल्याण, स्वास्थ्य स्थिति के सुधार तथा संरक्षण हेतु;
 - मरीजों के पात्र विधिक वारिसों को अनुग्रह राशि का भुगतान;
 - नियमित स्वास्थ्य जांच कैम्प हेतु;
 - प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामूहिक बीमा स्कीम हेतु;
 - प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं हेतु तथा स्थानीय निकायों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देख-रेख अवसंरचना को उन्नत करने हेतु;
 - दूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिए विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला तथा शिल्प कक्ष, शौचालयों ब्लाकों, आवासीय होस्टलों के निर्माण, खेल अवसंरचना, अध्यापकों/अन्य सहायता अमले को लगाने, ई-शिक्षा स्थापना, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकल/रिक्शा इत्यादि) की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और आगे आहार से सम्बन्धित कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे;
 - महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण हेतु— मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों इत्यादि की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम हेतु ;

- (अ) वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु;
- (ब) स्थानीय पात्र व्यक्तियों की आजीविका सहायता, आमदनी उत्पन्न करने तथा आर्थिक कार्यकलापों के लिए कौशल विकास करवाया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्र का विकास, स्वयं रोजगार स्कीमें तथा स्वयं सहायता समूहों की सहायता तथा ऐसे स्वयं रोजगार आर्थिक कार्यकलापों के लिए उन्नत तथा पिछड़े क्षेत्रों के संयोजन की व्यवस्था शामिल हैं;
- (ग) अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन तथा निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने, उचित जल निकास तथा मलजल उपचार संयंत्र की व्यवस्था, गंदे कीचड़ के निपटान की व्यवस्था, शौचालयों तथा अन्य सम्बन्धित कार्यकलापों की व्यवस्था की जाएगी।
- (3) बीस प्रतिशत निधि निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाएगी:—
- (क) सड़कों, पुलों, रेलों तथा जल मार्ग परियोजनाओं की व्यवस्था करने हेतु;
- (ख) सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने, उपयुक्त तथा उन्नत सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए;
- (ग) ऊर्जा (माईक्रो हाईडल सहित) तथा वर्षा जल एकत्र करने की प्रणाली के वैकल्पिक स्रोतों के विकास, पौधारोपण, फलोधान, समेकित कृषि तथा आर्थिक वनखंड का विकास तथा कैचमन्टों की मरम्मत हेतु :
परन्तु उपनियम (2) तथा (3) के अनुसार निधियों का उपयोग करते समय, निधि का कम से कम 60 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा।

15. यथा अधिसूचित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी योजना के मार्गदर्शनों के अनुसार प्रतिष्ठान को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करते हुए सम्बन्धित जिलों के प्रतिष्ठान द्वारा लागू की जाएगी।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी०एम०के०के०के०वाई०)।
प्रभावित क्षेत्रों तथा जनता की पहचान।

- 16.** (1) प्रभावित क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं,—
- (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां प्रत्यक्ष खनन सम्बन्धी संक्रियाओं जैसे कि उत्खनन, खनन, ब्लास्टिंग, सज्जीकरण तथा अपशिष्ट निपटान, अधिक भार ढेर, टेलिंग तालाब, परिवहन कोरिडोर इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:—
- (i) ऐसे गांव तथा ग्राम पंचायत जिनमें खान स्थित हैं तथा परिचालन में हैं। ऐसे खनन क्षेत्र उसी स्थिति में समीपवर्ती गांव, ब्लाक या जिले में विस्तारित हो सकते हैं;
- (ii) किसी खान या खानों के समूह में ऐसे घरे के भीतर कोई क्षेत्र, जो चाहे वह सम्बद्ध जिले या निकटवर्ती जिले के भीतर आता हो, को ध्यान में रखे बिना सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (iii) गांव जिनमें खानों द्वारा विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकरणों द्वारा पुनः बसाया गया या पुनर्वास किया गया है;
- (iv) गांव जो उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्रों पर सार्थक रूप से निर्भर है तथा परियोजना क्षेत्रों पर भोगाधिकार तथा परम्परागत अधिकार रखते हैं। उदाहरणार्थ पशु चराने, लघु वन उपज इत्यादि के संग्रहण हेतु;
- (ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र— ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय जनता खनन सम्बन्धी संक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। खनन का मुख्य नकारात्मक संघटन जल, मिट्टी तथा वायु गुणवत्ता की विकृति, नदी बहावों में कमी तथा भू-जल की क्षीणता, खनन संक्रियाओं, खनिजों के परिवहन के कारण संकुलन तथा प्रदूषण, विद्यमान अवसंरचना तथा संसाधनों पर भार में वृद्धि के रूप में हो सकता है।
- (2) प्रभावित जनता:—**
- (क) निम्नलिखित प्रभावित व्यक्तियों में शामिल होंगे,—
- (i) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 30) की धारा 3 (ग) के अधीन यथा परिभाषित प्रभावित कुटुम्ब;

- (ii) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 30) की धारा 3 (ट) के अधीन यथा परिभाषित विस्थापित कुटुम्ब ;
- (iii) कोई अन्य जो सम्बद्ध ग्राम पंचायत द्वारा उचित रूप से परिलक्षित किया जाए ;
- (ख) खनन से प्रभावित व्यक्तियों में वह जनता शामिल होगी, जिनका खनन की जा रही भूमि पर विधिक तथा व्यावसायिक अधिकार है तथा जिनके भोगाधिकार तथा परम्परागत अधिकार भी है;
- (ग) प्रभावित कुटुम्बों की, यथा सम्भव, ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के स्थानीय/चयनित प्रतिनिधियों के परामर्श से पहचान की जाएगी;
- 17.** (1) प्रतिष्ठान द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य, केवल सरकारी विभागों, एजेंसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से पूरे किए जाएंगे जो साधारणतः ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य करते या संविदा देते समय संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सरकारी परियोजनाओं को यथा लागू सुसंगत मानकों तथा प्रबन्ध प्रक्रिया का पालन करेंगे।
- (2) कार्य का तकनीकी अनुमोदन तथा पर्यवेक्षण, सम्बद्ध विभाग में यथा लागू शक्तियों के प्रशासकीय प्रत्यायोजन के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा देखभाल की जाएगी।
- (3) ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में, जो सरकारी विभाग, एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, शासकीय परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्रबन्ध समिति किसी अन्य सक्षम तथा समर्थ एजेंसी को कार्य दे सकती है।
- 18.** सरकार प्रत्येक जिले के प्रतिष्ठान के लिए वेबपोर्टल विकसित करेगी जिस पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित तथा अद्यतन रखी जाएगी, अर्थात्:-
- (i) प्रतिष्ठान की संरचना के ब्यौरे;
- (ii) खनन से प्रभावित क्षेत्रों तथा जनता की सूची;
- (iii) पट्टों तथा संविदाओं से प्राप्त सभी अशदानों के त्रैमासिक ब्यौरे;
- (iv) प्रतिष्ठान की सभी बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर)
- (v) वार्षिक योजना तथा बजट;
- (vi) प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट;
- (vii) चल रहे कार्यों की स्थिति जिसमें कार्यों का वर्णन, लाभार्थियों के ब्यौरे, अनुमानित लागत, कार्यान्वित करने वाली एजेंसी का नाम, कार्य के प्रारम्भ तथा समापन की अनुमानित तिथि तथा पिछली तिमाही तक की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति;
- (viii) प्रतिष्ठान द्वारा किए गए विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अधीन बनाई गई लाभार्थियों की सूची;
- (ix) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अधीन स्वेच्छिक प्रकटीकरण;
- 19.** प्रतिष्ठान के निम्नलिखित खर्चे निधि से पूरे किए जाएंगे अर्थात्:-
- (क) प्रतिष्ठान के कार्यों के संचालन या निष्पादन में तथा प्रतिष्ठान निधि में सम्मिलित निवेशों तथा परिसम्पत्तियों की वसूली, संरक्षण या लाभ के लिए तथा प्रतिष्ठान के हितों के संरक्षण के लिए उचित रूप से उपगत सभी खर्चे;
- (ख) अंशदान तथा/या किसी अन्य साधन, जो प्रोद्भूत हो सकते हैं, से प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा उपगत सभी खर्चे (जिसमें किसी करार या अन्य विलेखों के निष्पादन तथा/या रजिस्ट्रेशन से आनुषंगिक खर्चे शामिल हैं);
- (ग) व्यावसायिक फीसों तथा किसी विधिक सलाहकार की लागतों सहित प्रतिष्ठान के कार्यों से सम्बन्धित सदस्यों द्वारा या उस के विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सभी खर्चे;
- (घ) प्रतिष्ठान के कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान/भुगतानयोग्य सभी उद्ग्रहणों, शुल्कों तथा अन्य प्रभारों सहित प्रतिष्ठान के संचालन या निष्पादन में उपगत सभी विधिक वैधानिक खर्चे;
- (ङ) सरकार के मानकों के अनुसार इसकी बैठकें बुलाने तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सभी खर्चे;
- (च) निधि का संचालन शत प्रतिशत नकदी रहित होगा तथा किसी भी मामले में 5000/- रुपये से अधिक की कोई भी राशि रियल-टाईम ग्रॉस सैटलमेंट सिस्टम (आर.टी.जी.एस)/अन्य वैद्य तथा विधिक ढग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप के सिवाय भुगतान नहीं की जाएगी।
- 20.** (1) प्रतिष्ठान के वार्षिक लेखे वित्त वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर तैयार किए जायेंगे। प्रतिष्ठान के लेखे प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतरिम रूप से लेखापरीक्षित किए जाएंगे।
- (2) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के बाद लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा द्वारा लेखापरीक्षित करवाए जाएंगे।

कार्यों या संविदाओं का लागूकरण।

पारदर्शिता का अनुपालना।

खर्चे।

लेखे तथा लेखापरीक्षा।

- (3) उप नियम (1) के अधीन लेखापरीक्षा वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर पूरी की जाएगी तथा उपनियम (2) के अधीन लेखापरीक्षा वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर पूरी की जाएगी:
परन्तु सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपनियम (1) तथा (2) में लेखापरीक्षाओं का एक साथ निष्पादन वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ मास की अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है।
- 21.** (1) वित्त वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ मास के भीतर, प्रतिष्ठान का सदस्य सचिव सम्बन्धित वित्त वर्ष के लिए इसके कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवायेगा तथा प्रतिष्ठान के सम्मुख उसे रखेगा :
परन्तु अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से नौ मास की यह अवधि दूसरी तीन मास की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।
- (2) वार्षिक रिपोर्ट प्रतिष्ठान द्वारा इसके अनुमोदन की तिथि से एक मास के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी तथा प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी।
- (3) प्रत्येक प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट आगामी मास, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट सरकार द्वारा प्राप्त की गई है, में राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में उसके सदन के सम्मुख रखी जाएगी।
- 22.** (1) सरकार प्रतिष्ठान के प्रबन्ध के लिए तथा वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु, जो प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, अपने नियन्त्रण के अधीन कार्यरत कार्मिक की ऐसी सेवाएं मुहैया करवाएगी।
- (2) प्रतिष्ठान को प्रशासकीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार से उसके विभागों/उपक्रमों से कोर कार्मिकों की अपेक्षित संख्या मुहैया कराने के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवाएं उनके अपने सम्बन्धित संवर्ग में निरन्तर बनी रहेंगी।
- (3) प्रतिष्ठान ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए सेवा प्रदाताओं से भी मांग कर सकता है जो प्रतिष्ठान के निर्बाध कार्य करने के लिए आवश्यक हों तथा इसके कार्यों के लिए उपगत फुटकर खर्च मुहैया करा सकता है।
- 23.** पदेन सदस्य सदभावनापूर्वक, सम्यक तत्परता से सदभावपूर्वक की गई किसी बात के लिए दायी नहीं होंगे। सदभावपूर्वक किसी बैंकर, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसके पास निक्षेप की गई या रखी गई प्रतिष्ठान की निधि के किसी निवेश के मूल्य में न तो कमी या न्यूनता के लिए और न ही अन्यथा से किसी अस्वैच्छिक हानि के लिए भी दायी अथवा उत्तरदायी नहीं होंगे।
- 24.** निम्नलिखित राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति वार्षिक आधार पर प्रतिष्ठान द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करेगी:-

वार्षिक रिपोर्ट।

प्रशासकीय व्यवस्था।

सदस्यों का दायित्व।

राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/पदनाम	हैसियत
1	2	3
1	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खान तथा भूविज्ञान विभाग	अध्यक्ष
2	वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
3	पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि जो निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
4	वन विभाग का प्रतिनिधि जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
5	स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव/या महानिदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
6	पंचायत तथा विकास विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव या निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
7	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) हरियाणा।	सदस्य
8	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य, हरियाणा।	सदस्य
9	निदेशक, खान तथा भूविज्ञान, हरियाणा	सदस्य-सचिव
10	राज्य खनन अभियन्ता, खान तथा भूविज्ञान विभाग, हरियाणा	सदस्य
11	अन्य सम्बन्धित विभागों का कोई अन्य अधिकारी/ अधिकारियों तथा/ या सम्बद्ध क्षेत्र के खनिज रियायत धारकों के प्रतिनिधि जो समिति या अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये जायें।	विशेष आमन्त्रित

(2) राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति प्रतिष्ठान द्वारा किए गए सभी कार्यों/कार्यकलापों का पुनरीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिष्ठान द्वारा किए गए सभी कार्य उपबंधों के इन नियमों के अनुसार होंगे। समिति, प्रतिष्ठान द्वारा किए गए कार्यों/कार्यकलापों का पुनरीक्षण वार्षिक आधार पर करेगी। पुनरीक्षण समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अपूर्व कुमार सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खान तथा भूविज्ञान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT

Notification

The 19th December, 2017

No. S.O.74/C.A. 67/1957/Ss. 9A, 15 and 15A/2017.— In exercise of the powers conferred by section 9B, sub-section (4) of section 15 and 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

1. These rules may be called the Haryana District Mineral Foundation Rules, 2017. Short title.
2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) **“Act”** means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957);
 - (b) **“affected area”** means the areas affected due to mining related operations;
 - (c) **“affected people”** means the persons affected due to mining related operations;
 - (d) **“auditor”** means the Chartered Accountant appointed by Foundation and include the Principal Accountant General;
 - (e) **“Chairperson”** means the Chairperson of the Foundation;
 - (f) **“Committee”** means a committee constituted by the Government consisting of one officer each from the department of Forest, PWD(B&R), Panchayati Raj, Health Department, Haryana State Pollution Control Board, Education Department & Social Welfare Department not below the rank of officer of district level;
 - (g) **“contribution”** means the contribution collected or to be collected from the holders of major or minor mineral concessions in the district at such percentage of contract money/dead rent/royalty as specified by the Central Government or State Government;
 - (h) **“Deputy Commissioner”** means the Deputy Commissioner of the concerned district;
 - (i) **“Foundation”** means the District Mineral Foundation constituted under rule 4;
 - (j) **“Fund”** means the fund of the Foundation;
 - (k) **“Governing council”** means the council consisting of all the members of the Foundation;
 - (l) **“Managing Committee”** means the committee consisting of all members of the Foundation except the nominated members;
 - (m) **“Government”** means Government of the State of Haryana in the administrative department;
 - (n) **“holder of mineral concession”** means the holder of the mining lease or mining contract of any mineral;
 - (o) **“Year”** means a financial year commencing from the 1st April and ending on 31st March of the following year;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

Composition of Foundation.

3. The District Mineral Foundation in a district shall consist of the following members, namely:-

Ex-officio members		
1	2	3
1	Deputy Commissioner	Chairperson
2	Additional Deputy Commissioner	Vice-Chairperson
3	Member Parliament of concerned district	Member
4	All members of Legislative Assembly in the district	Members
5	Assistant Mining Engineer/ Mining Officer, as the case may be	Member Secretary
6	Divisional Forest Officer	Member
7	Executive Engineer, PWD (B&R)	Member
8	Executive Engineer, Panchayati Raj	Member
9	Chief Medical Officer of the district	Member
10	Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board	Member
11	District Education Officer	Member
12	District Social Welfare Officer	Member
Nominated Members		
13	Two representatives, one from Major Mineral and another from Minor Mineral, Concession holders	Member
14	One representatives, from Mineral Processing Industries	Member
15	Two representatives from the community of affected person of affected areas	Member
16	One representative of mine workers	Member
17	Technical mining person having experience of ten years in mining working in the district	Member
18	Any other officer/eminant person to be nominated by the Chairman with the approval of the Government.	Member

Management of Foundation.

4. The management of the Foundation shall vest in a Governing Council which shall consist of all members including nominated members of the foundation. The Foundation shall act in accordance with the direction and guidelines issued by the Government from time to time.

Meetings of Governing Council.

5. (1) The meeting of Governing Council shall be convened by the Chairman at least once in every quarter.
 (2) The quorum for meeting shall be one-third of the total members.
 (3) All the decisions by the Foundation shall be taken in the meeting of the Governing Council by the majority of the members present and if required, by voting. In case of the tie, the Chairperson shall have a casting vote. Every meeting of the Governing Council shall be deemed to be a meeting of the Foundation.

Terms and conditions of appointment and service of nominated members.

6. (1) The nominated members shall hold office for a period of three years and the Chairperson may renew the appointment of a nominated member for one term.
 (2) Any nominated member may resign his office by writing under his hand addressed to the Government but shall continue in office until his resignation is accepted.
 (3) The nominated members shall receive allowances to meet the expenses for attending the meetings in accordance with Haryana Civil Services Rules applicable to Class-1 officers of the State.
 (4) The nominated members shall not be entitled to any remuneration.

Any vacancy not to affect function of Foundation.

7. Any vacancy arisen in the Foundation due to expiration of term, resignation, removal, disqualification, death or any reasons whatsoever, shall not affect the functions of the Foundation.

8. A nominated member shall be disqualified if he,-
- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude;
- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (c) is an undischarged insolvent;
- (d) has been removed or dismissed from service of the Central Government or a State Government or a body or corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government;
- (e) has directly or indirectly by himself or as partner, has any private share or private interest in any work done by the order of the Foundation or in any contract or employment with or under or by or on behalf of the Foundation; or
- (f) is employed as a paid legal practitioner on behalf of the Foundation or accepts employment as legal practitioner against the Foundation.
- Disqualification of member.
9. The Government may remove a nominated member if,-
- (a) he becomes subject to any of the disqualifications prescribe in rule 8;
- (b) he without obtaining leave of absence from the Foundation, absents from three consecutive meetings of the Foundation;
- (c) in the opinion of the Government has so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest:
- Provided that no member shall be removed under this clause unless he has been given an opportunity of making his representation against the proposal.
- Removal of nominated member.
10. The Governing Council shall be responsible for,-
- (i) laying down the broad policy framework and its review, subject to such directions and guidelines as issued by the Government, from time to time;
- (ii) drawing up and approving of annual action plan containing the list of schemes and projects with the tentative provisions thereof and the annual budget;
- (iii) approving the annual budget plan and in preparing thereof for the next financial year and shall asses the sum total of the Past Commitment and liabilities;
- (iv) maintaining financial discipline and timely completion of project;
- (v) approving such other expenditure in furtherance of the objects of the Foundation from the available Fund in accordance with these rules.
- (vi) approving the recommendations of the Management Committee;
- (vii) approving the annual report and audited accounts of the Foundation preferably within ninety days but not exceeding one eighty days of the close of the previous year.
- (viii) preparing and maintaining an updated list of affected persons.
- Powers and function of the Governing Council.
11. (1) The day to day management of the Foundation shall be managed by a Managing Committee, which shall consist of all the members of the Foundation except the nominated members.
- (2) The Managing Committee shall,-
- (i) exercise due diligence in carrying out its duties for protecting the interest and contribution of the Foundation;
- (ii) ensure timely collection of contribution from holders;
- (iii) get the master plan or vision Document for the activities of the Foundation prepared by the committee;
- (iv) assist in the preparation of the annual plan and annual budget of the Foundation along with the proposed schemes and projects;
- (v) supervise and ensure the execution of the Annual Plan, Schemes and Projects approved by the foundation;
- (vi) accord sanction to the projects;
- (vii) operate the Fund through Accounts in the name of the Foundation in the Government Scheduled Nationalised Bank with prior approval of the Government;
- (viii) monitor the progress of the utilization of the Fund;
- (ix) place the audited accounts along-with an annual report before the Governing Council for its approval within ninety days of close of the year;
- (x) do such other things which are necessarily for smooth functioning and management of the Foundation;
- Power and function of Managing Committee.
3. The meeting of the foundation shall be held at least once every quarter.

- Fund. **12.** (1) There shall be credited to the said Fund;
- (i) all grants, subventions, donations and gifts made by the Central Government, State Government, any local authority or anybody, whether incorporated or not or any person;
 - (ii) the amount borrowed by the Foundation with prior approval of the Government;
 - (iii) all other sums received by or on behalf of the Foundation from any source whatsoever;
 - (iv) the contribution received in respect of major mineral;
 - (v) one third of total amount received under Mines and Mineral Development and Regulation Fund established in accordance with Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of illegal Mining Rules, 2012 in respect of minor minerals.
 - (vi) investments and other deposits and the interest accrued thereon and any other income derived therefrom; and
 - (vii) all other properties of the Foundation and the income derived therefrom or appreciation thereof.
- (2) The payment towards foundation shall be collected from contractors/ lessees in the district, in advance alongwith monthly instalments and shall be directly deposited in the account of the foundation. If any difference amount is accrued at the time of assessment of royalty, the same shall be deposited in the account of foundation immediately.
- Operation of Fund. **13.** The Fund shall be kept in interest bearing account in Government Scheduled Nationalised Bank only in the name of Foundation and all accounts shall be operated under the joint signatures of the two designated signatories, one to be nominated by the Chairman and other is Member Secretary. The Foundation shall maintain the books of accounts of Fund.
- Utilization of Fund. **14.** The Fund shall be utilised in the following manner, namely:-
- (1) twenty percent of the fund shall be kept aside as endowment for taking care of future expenses after mining activities have ended in the area as per the guidelines issued by the Government from time to time.
 - (2) Sixty percent of the fund shall be utilised for the following:-
 - (a) for drinking Water Supply- centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system;
 - (b) for centralized preservation and pollution control measures- effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measure for controlling noise, air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working or abandoned mines, restoration, reclamation and rehabilitation of mined out areas and other air, water and surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.
 - (c) for welfare, improvement and protection of health conditions of local mine workers affected by mining operation related health hazards.
 - (d) ex-gratia payment to the eligible patients legal heirs;
 - (e) for regular health check up camps;
 - (f) for Group Insurance Scheme for health care for affected persons;
 - (g) for primary/secondary health care facilities in the affected areas and for updation of existing health care infrastructure of the local bodies, State and Central Government.
 - (h) for construction of school building, additional class rooms, laboratories, libraries, art and crafts room, toilet blocks, residential hostels for students/teachers in remote areas, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/van/cycles/rickshaws/etc) shall be taken up and further nutrition related programs;
 - (i) for welfare of Women and Child- Special programmes for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc;
 - (j) for welfare of aged and disabled persons;

- (k) for skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons shall be taken up. This shall include training, development of skill development centre, self-employment schemes and support to self help groups and provision of forward and backward linkages for, such self-employment economic activities;
- (l) for sanitation, collection, transportation and disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage and sewage treatment plant, provision for disposal of fecal sludge provision of toilets and other related activities;
- (3) Twenty percent fund shall be utilised,-
 - (a) for providing roads, bridges, railways and waterways projects;
 - (b) for developing alternate sources of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques;
 - (c) for development of alternate sources of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system, Development of plantation, orchard, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments:

Provided that while using funds as per sub-rule (2) and (3) atleast 60% of fund shall be spent on directly affected areas.

15. The Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) as notified shall be implemented by the Foundation of the respective districts using the funds accruing to the Foundation as per the guidelines of the Yojana issued by the Government of India from time to time.

Pardhan
Mantri Khanij
Kshetra
Kalyan Yojna
(PMKKKY).
Identification
of affected
areas and
people.

16. (1) Affected area shall comprise of-
- (a) Directly affected areas- where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal, (overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc.), are located and shall include the followings, namely:-
 - (i) villages and gram panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighbouring village, block or district;
 - (ii) an area within such radius from a mine or cluster of mines, as may be specified by the Government, irrespective of whether this falls within the district concerned or adjacent district;
 - (iii) villages in which families displaced by mines have been resettled or rehabilitated by the project authorities;
 - (iv) villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc.
 - (b) **Indirectly affected areas-** Those areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations. The major negative impacts of mining may be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.
- (2) **Affected people:-**
- (a) The following shall include affected persons;
 - (i) 'affected family' as defined under section 3 (c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. (Central Act 30 of 2013);
 - (ii) 'Displaced family' as defined under section 3 (k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. (Central Act. 30 of 2013)
 - (b) persons affected by mining shall include people who have legal and occupational rights over the land being mined and also those with usufruct and traditional rights;
 - (c) affected families shall be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of Gram Panchayat or the Urban Local Body, as the case may be.

- Implementation of Works or contracts. **17.** (1) The works undertaken by the Foundation shall be executed only through Government Departments, agencies and public sector undertakings normally undertaking such works which shall follow the relevant norms and procurement procedures as may be applicable to the Government projects implemented by the organisation while executing or awarding contracts.
- (2) Technical approval and supervision of the work shall be looked after by officers competent to do so under the administrative delegation of powers as applicable to the Department concerned.
- (3) In respect of such works which may be executed through Government Department, agencies or public sector undertakings, the Executive Committee may award the work to any other competent and sound agencies following a transparent process, after obtaining prior approval of the Governing Council.
- Compliance of transparency. **18.** The Government shall develop a web-portal for **Foundation** of each district which shall host and keep updated the following, namely: -
- (i) details of composition of the Foundation;
- (ii) list of areas and people affected by mining;
- (iii) quarterly details of all contribution received from leases and contracts;
- (iv) all meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the Foundation;
- (v) annual Plans and Budget;
- (vi) annual Report of the Foundation;
- (vii) status of ongoing works including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work and financial and physical progress up to last quarter;
- (viii) list of beneficiaries made under various welfare programs taken up by the Foundation;
- (ix) voluntary disclosures under Right to Information Act, 2005.
- Express. **19.** The following expenses of the Foundation shall be met from the Fund, namely:-
- (a) all expenses properly incurred in the operation or execution of the works of the foundation and for the realisation, preservation or benefit of the investments and assets comprising the fund and for the protection of the interests of the foundation;
- (b) all expenses (including expenses incidental to execution and/or registration of any agreement or other deeds) incurred by the members for obtaining the contributions and or any other resources;
- (c) all expenses in connection with any legal proceedings by or against the member concerning the affairs of the foundation including professional fees and costs of any legal advisor;
- (d) all legal and statutory expenses incurred in the operation or execution of the foundation including all levies, duties and other charges paid/payable in connection with the affairs of the Foundation;
- (e) all expenses in connection with the holding of its meetings and other proceedings as per norms of the Government;
- (f) the operation of the Fund shall be 100% cash less and in no case shall any amount above ₹5000/- be paid except electronically through Real Term Gross Settlement (RTGS)/other valid and legal mode.
- Accounts and audit. **20.** (1) The annual accounts of the Foundation shall be prepared within ninety days of the close of the financial year. The accounts of Foundation shall be internally audited every year by a Auditor appointed by the Foundation.
- (2) After the audit by the Auditor, the accounts shall be audited by the Principal Accountant General (Audit), Haryana.
- (3) Audit under sub-rule (1) shall be got completed within three months of the close of the financial year and the audit under sub-rule (2) shall be got completed within six months of the close of the financial year.
- Provided that with prior approval of the Government the completion of audits at sub-rules (1) and (2) put together could be extended up to a period of nine months from the close of the financial year.
- Annual report. **21.** (1) Within nine months from the date of closure of the financial year, the Member Secretary of the Foundation shall cause to prepare an Annual Report on its activities for the respective financial year and place it before the Foundation:

Provided that with prior approval of the Chairman, this period of nine months may be extended by a period of another three months.;

- (2) The Annual Report shall be submitted to the Government within one month from the date of its approval by the Foundation and shall also be hosted on the website of the Foundation;
- (3) The Annual Report of each Foundation shall be laid before the Houses of the State Legislature in its next session following the month in which the Annual Report is received by the Government.
- 22.** (1) The Government shall provide such services of the personnel working under their control for management of the Foundation and for execution of the Annual Plan, as may be required for the purpose. Administrative arrangement.
- (2) the Foundation may request the Government to provide required number of core personnel from its departments/undertakings for providing administrative and technical assistance to the Foundation. Services of such personnel shall continue to remain in their own respective cadres.
- (3) The Foundation may also ask service providers to provide such services as may be needed for smooth functioning of the Foundation and may provide for incurring contingent expenditure for its functioning.
- 23.** The ex-officio Members shall not be liable on account of anything done in good faith, bonafide with due diligence. The Members shall also not be liable or responsible for any banker, broker, custodian or other person in whose hands the same may, in good faith, be deposited or placed nor for the deficiency or insufficiency in the value of any investments of the Fund nor otherwise for any involuntary loss. Liability of Members.
- 24.** (1) The following State Level Review Committee shall review the works undertaken by the Foundation on yearly basis. State Level Review Committee.

Serial No.	Name/Designation of the Officer	Status
1	2	3
1	Principal Secretary to Government, Haryana, Mines and Geology Department;	Chairman
2	Representative of the Finance Department not below the rank of Special Secretary;	Member
3	Representative of the Environment Department, not below the rank of Director;	Member
4	Representative of the Forest Department, not below the rank of Additional Principal Chief Conservator of Forest;	Member
5	Representative of the Health Department, not below the rank of Special Secretary or the Director General;	Member
6	Representative of Panchayat and Development Department, not below the rank of Special Secretary or the Director;	Member
7	Engineer-in-Chief (PWD)B&R Haryana;	Member
8	Engineer-in-Chief (PWD) Public Health;	Member
9	Director, Mines and Geology, Haryana;	Member Secretary
10	State Mining Engineer, Mines and Geology Department, Haryana;	Member
11	Any other officers/s of other concerned departments and/or representatives of the Mineral Concession holders of the area concerned as may be decided by the Committee or the Chairman	Special Invitee

- (2) The State Level committee shall review all the works/activities executed by the foundation and shall ensure that all the works executed by the Foundation shall be in accordance with the provisions of these rules. The Committee shall review works/activities carried out by Foundation on yearly basis. The review committee shall submit its report to the Government.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Mines and Geology Department.